

विविध बैंक प्रकरण सं. 105/2020 (RCMS 2020/00276) आवास फाईनेसर्स लि., पंजीकृत कार्यालय 201-202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेब्यर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल ऐरिया जयपुर व शाखा कार्यालय शॉप नं. 1 व 2 द्वितीय तल, शक्ति मार्ग राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी भगत सिंह बनाम 1. सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री राज सिंह निवासी वार्ड नं 1, 19 आर पी श्रीगंगानगर 2. सुखप्रीत कौर पत्नी सुखमन्दर सिंह निवासी वार्ड नम्बर 1, 19 आर पी श्रीगंगानगर 3. जगदेव सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी 43 जोहड के पास, किकर चक 24 एम सी एस, किकर चक, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

02.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री एस.पी. भादू उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 07.12.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी सुखमन्दर सिंह, सुखप्रीत कौर और जगदेव सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 8.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये आठ लाख मात्र) का ऋण दिनांक 29.12.2018 स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुखमन्दर सिंह द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 20(5000 वर्ग फीट), चक 19 आरबी तहसील रायसिंहनगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.01.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 03.08.2019 को 8,61,900 रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

दिनांक 07.02.2020 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 11.02.2020 को भिजवाये गये है तथा दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 09.02.2020 को प्रकाशित करवाया गया जिसके परिणामस्वरूप पत्रावली में पोस्ट ऑफिस के नोटिस धारा 13(2) भिजवाने की रसीद एवं समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस की फोटो प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी सुखमन्दर सिंह द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 20(क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट), चक 19 आरबी, रायसिंहनगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सुखमन्दर सिंह, सुखप्रीत कौर और जगदेव सिंह को 8.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये आठ लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 29.12.2018 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी सुखमन्दर सिंह द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 20(क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट), चक 19 आरबी, रायसिंहनगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.01.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 11.02.2020 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है, जिसकी रसीद की प्रति पत्रावली

में उपलब्ध है परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की पावती पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी बैंक ने दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 09.02.2020 के धारा 13(2) का नोटिस का प्रकाशन करवाया है, जिसकी प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी सुखमन्दर सिंह अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 20(क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट), चक 19 आरबी, रायसिंहनगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 07.02.2020 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 07.02.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 07.02.202 से अप्रार्थीगण सुखमन्दर सिंह, सुखप्रीत कौर और जगदेव सिंह को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 11.02.2020 को भिजवाये गये है। प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 09.02.2020 को करवाया है, जिसकी प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा

13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करता है तो दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 07.02.2020 को जारी कर दिनांक **11.02.2020 को पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को भिजवाया है** और अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाने से पूर्व ही दिनांक **09.02.2020** दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाया है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत नियम 3(1) के परन्तुक के अनुसार नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं मानी जा सकती। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार करने योग्य नहीं है।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2020** वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **खारिज किया जाता है।** प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 के नियम 3(1) की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 02.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(जाकिर हुसैन)

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर